19.01 ण्द्धद्द

Title: Resolution regarding adequate funds for completion of all pending projects (Not concluded).

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह पिछले कई वर्षों से लम्बित सभी परियोजनाएं समय पर पूरी करने के लिए पर्याप्त निधि आवंटित करते हुए एक कार्यक्रम तैयार करे तथा यह सुनिश्चित करे कि नई योजनाओं को केवल तभी आरम्भ करें जब उनके लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जा चुकी हो ताकि उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जा सके। "

यह संकल्प समूचे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह संकल्प मुझे इस सदन में इसलिए प्रस्तुत करना पड़ा कि अभी पहली पंचवर्षीय योजना के भी कुछ प्रोजैक्ट्स इस देश में अधूरे पड़े हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लेकर पांचवी, छटी पंचवर्षीय योजनाओ के सिंचाई, बिजली, रेलवे, विभिन्न विकास की योजनाओं में अभी भी अधूरे पड़े हैं जबकि हमारी आजादी को बावन वर्ष हो गए और नौवीं पंचवर्षीय योजना समाप्ति के कगार पर है। राज्य सभा में 16 मई, 2000 को श्री जनेश्वर मिश्र, श्री स्वराज कौशल तथा श्री नानाजी देशमुख के प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी आई है, आठवीं योजना के अंत तक इस देश में सिंचाई के 162 मेजर और 240 मीडियम प्रोजैक्ट पैंडिंग पड़े हैं। गत 30-35 वर्षों में केवल मेजर प्रोजैक्ट और एक मिडियम प्रोजैक्ट नौवीं योजना तक पूरा होने वाला है। 162 मेजर प्रोजैक्ट्स में से केवल 11 मेजर प्रोजैक्ट और 240 मीडियम में से केवल एक मीडियम प्रोजैक्ट। पैंडिंग सिंचाई योजनाओं की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है - पहला आंकड़ा मेजर प्रोजैक्ट और दूसरा मीडियम प्रोजैक्ट का है। मध्य प्रदेश - 23, 32, महाराट्र - 33, 39, आंध्र प्रदेश - 12, 18, बिहार - 19, 26, उत्तर प्रदेश - 17, 2, उड़ीसा - 5, 10, कर्नाटक - 11, 12, गुजरात - 9, 8, असम - 4, 9, पश्चिम बंगाल - 3, 17, राजस्थान 5, 17, मणिपुर - 2, 1, हरियाणा - 5 मेजर, मीडियम नहीं, जम्मू कश्मीर - 1, 9, त्रिपुरा - 3 मीडियम, केरल - 5, 2, गोवा - 1,1, हिमाचल - 1 मीडियम। ये सिंचाई के प्रोजैक्ट्स हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना के इसदेश के विभिन्न राज्यों में अभी तक पैंडिंग हैं। हमारे हिन्दुस्तान का सिंचाई का जो रकबा है उससे भी आधा सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश का है। मैं मध्य प्रदेश के सिंचाई के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। 26.4.2000 के प्रश्न संख्या 4965 के उत्तर में है। प्रश्नकर्ता श्री एस.एन.आर. वाडियार, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, लोक सभा, श्री पुन्नू लाल मोहिले के उत्तर में मध्य प्रदेश के सिंचाई पैंडिग वर्क्स इस प्रकार हैं --बांण सागर यूनिट नम्बर 1, यह पांचवी योजना से प्रारम्भ है, बांण सागर यूनिट नम्बर 2 पांचवी योजना से, रानी अवन्तीबाई सागर बर्गी एल.बी.डी.ए. पांचवी योजना से, रानी अवन्तीबाई बर्गी डिवीजन एल.बी.डी.ए. आठवीं योजना से।

भांडेर केनाल प्रथम पंचवर्षीय योजना से, वामा योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, पैरी योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से, महानदी रिजर्वायर चौथी पंचवर्षीय योजना से, कोलार चौथी पंचवर्षीय योजना से, जोंक चौथी पंचवर्षीय योजना से, सिंध फेज वन चौथी योजना से, राजघाट यूनिट वन पांचवीं योजना से, राजघाट यूनिट टू पांचवीं योजना से, बरिहारपुर पांचवीं योजना से, उर्मिल पांचवीं योजना से, मान, माही, सिंध, महान, इन्दिरा सागर योजनाएं छठी योजना से प्रारम्भ हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण लगभग 300 छोटी और मध्यम सिंचाई योजनाएं पैंडिंग हैं, जिन पर मध्य प्रदेश सरकार ने अरबों रुपया खर्च किया हुआ है। भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय यहां से उनको क्लियरेंस नहीं दे रहा है, इससे मध्य प्रदेश को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसमें पटना जलाशय योजना, सतना जिला, पाठा जलाशय योजना, पन्ना जिला, पुटकीघर जलाशय योजना, सीधी जिला, सुमेरी जलाशय योजना, गुना जिला, अर्जुनगंवा जलाशय योजना, शिवपुरी जिला, सुल्तानपुर खरगौन जिला, बिजासेन खरगौर जिला योजनाएं पैंडिंग हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग राज्य बन गया है, उसकी निम्न योजनाएं पैंडिंग हैं: पी.वी. 103 बस्तर, भैरों जलाशय रायपुर, कौसमी जलाशय रायपुर और चापी जलाशय बिलासपुर। इस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 250 के करीब लघु सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण पैंडिंग पड़ी हैं। उनका काम बन्द है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार का अरबों रुपया इन योजनाओं पर खर्च हो चुका है। जैसे पटना जलाशय योजना, सतना पर 95 लाख रुपये का काम हो गया है, केवल हैड वर्क्स का 10 लाख रुपया का काम 1980 से आज तक पैंडिंग है। यह आदिवासी जिला है। जो लोग पहले कुछ जमीन सींच भी लेते थे, वह भी अब बन्द हो गया है और लोगों को बड़ी परेशानी है।

इसी तरह चार राज्यों के विद्युत प्रोजैक्ट्स का लोक सभा में जो उत्तर आया है, उसके आधार पर मैं पैंडिंग परियोजनाओं की जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में मारीखेड़ा HEP 2 गुणा 20 मैगावाट की 106.94 करोड़ की, महेश्वर HEP 10 गुणा 40 की 1216.95 करोड़ की, ओंकारेश्वर HEP 3 गुणा 65 की 106.95 करोड़ की, बीना TPS दो गुणा 298 मैगावाट की 1820.627 करोड़ की, नरसिंहपुर CCPP की 166 मैगावाट की 293.617 करोड़ की, पेंज TPS 2 गुणा 250 मैगावाट की 1172.155 करोड़ की, गुना CCGT 347.25 मैगावाट की 984.86 करोड़ की, भांडेर CCGT 342 मेगावाट की 346.514 करोड़ की.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप अपना भाण आगे जारी रख सकेंगे, अब समय हो गया है।

श्री रामानन्द सिंह : कृपया बिजली वाले प्रोजैक्ट्स को पूरा करने दें।

19.10 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, March 7, 2001/Phalguna 16, 1922 (Saka).